IV 179/2019

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय वाराणसी क्रम संख्या 2019350011581

आवेदन संख्या : 201900996017735

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2019-05-25 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम कृष्णानन्द पाण्डेय

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 600

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2019-05-25 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-05-25 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

गैर न्यायिक

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

NON JUDICIAL

BV 831342

201900996017735

न्यास पत्र

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -सदर द्वितीय

1- यह न्यास पत्र निम्न न्यासी / न्यासियों के मध्य इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन निष्पादित किया गया है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त नियम व् उपनियम प्रभावी होंगे:–

क- श्री/श्रीमती/कु० :	श्री कृष्णानन्द पाण्डेय
पुत्र/पत्नी/पुत्री :	पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831341

पेशा :	अन्य
पता :	ग्राम करमनबीर पोस्ट सुसुवाही परगना–देहात अमानत, तहसील व जिला–वाराणसी।
पैनकार्ड नं० :	N/A
मोबाइल संख्या :	7897991775

प्रथम पक्ष

मै बचपन से ही अपने माता-पिता के साथ रहा और उन्ही के संस्कार में पाल-बढ़ा और मेरी रूचि के अनुसार मैंने संस्कृत शिक्षा में साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त किया। भारतीय सेना में सेवारत रहते हुए देश सेवा की और सेवा निवृत्त के पश्चात् में अस्पताल स्थापित कर जन सामान्य व रोगियों की सेवा कर रहा हूँ और पढ़ने लिखने में मेरी बहुत ही अभिरूचि रही है इसलिए मैंने यह उचित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831340

समझा कि मे मै अपने मॉ श्रीमती निर्मला पाण्डेय के नाम पर एक ट्रस्ट और न्यास की स्थापना करूं और इसके माध्यम से मै समाज की सेवा करूॅ। मैन इस ट्रस्ट/ न्यास को स्थापित करने के लिए मु0 10,000/-रू0 समर्पित कियास है जो ट्रस्ट का फण्ड होगा और ट्रस्ट के पंजीकरण के बाद किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलकर इसे ट्रस्ट के नाम से जमा कर दूँगा इसलिए मै अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नचित्त एवं स्वस्थ मन-मस्तिष्क से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने मॉ के नाम पर मदर निर्मला चेरिटेबल ट्रस्ट/न्यास की स्थापना कर रहा हूॅ। न्यास का विवरण निम्न प्रकार है :-

न्यास का नाम	''मदर निर्मला चेरीटेबुल ट्रस्ट''
मुख्यालय	करमनबीर पोस्ट-सुसुवाही गंगा जमुना भवन, परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी
कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण भारतवर्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831339

उद्देश्य

1. सभी जाति, धर्म सम्प्रदाय के सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न संस्थाओ की स्थापना एंव संचालन करना।
2. शोधकार्य के लिए संस्थाओ की स्थापना एवं संचालन करना।
3. विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।
4. अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बालक/बालिकाओ हेतु विज्ञान तथा अन्य प्रकार के तकनीकी शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।
5. बालिकाओ के लिए तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओ तथा सिलाई-कढ़ाई बुनाई तथा चित्रकला आदि के लिए विशेष शैक्षणिक संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831338

6. समाज में आर्थिक सामाजिक एंव शैक्षिक रूप से पिछडे पुरूष/महिलाओ के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था एवं संचालन करना।

7. सभी जाति, धर्म सम्प्रदाय के लिए विधवा अनाथालय एवम् वृद्धाश्रम की स्थापना एवम् संचालन करना।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति एवम् पिछड़ी जाति के लिए पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

9. गरीबो के सामाजिक सुरक्षा एवम् उत्थान हेतु गरीब परिवारों के लिए निवास स्थान प्रदान करने का कार्य करना।

10. पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना ।

11. वृक्षारोपण, वृक्षों एवम् वनो की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना एवं वन्य जीवो के लिए सुरक्षा के उपाय करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831337

12. स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उच्च स्तर के अस्पतालो एवं चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
13. नेत्रहीन मन्दबुद्धि व विकलांग बालक-बालिकाओ के विकास हेतु समुचित आवासीय शिक्षण व्यवस्था एवम् संचालन करना।
14. सभी जाति-धर्म में समरसता उत्पन्न करने का कार्यक्रम चलाना और समाज से धार्मिक सामाजिक जातीय घृणा दूर करना।
15. तकनीकी शिक्षा के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।
16. भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाना एवं सामाजिक चेतना उत्पन्न करना।
17. हरित क्रान्ति एवम् कृषि के उत्थान के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाना तथा राजकीय एवम् अन्य एन0जी0ओ0 के सहयोग से

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831336

कार्यक्रम चलाना एवम् जन जागरण करना।

18. सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध जनजागरण करना।

19. गरीब छात्रों के लिए आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना।

20. छात्रों के लिए खेलकूद की उच्चतर एवम् उत्तम व्यवस्था करना। उपरोक्त कार्यो के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों राजकीय संस्थानों एन.जी.ओ0 तथा दानदाताओ से धन प्राप्त करना एवम् एन.जी.ओ. के समस्त कार्य व कार्यक्रम करना।

21. शिक्षा का प्रचार व प्रचार

22. योग का स्वास्थ्य के लिए तथा मानसिक विकास के लिए प्रचार प्रसार करना व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23. विश्व में भाई चारा व मानवता स्थापित करने का कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831335

24. साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक धार्मिक व धर्मार्थ वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
25. इस न्यास के उद्देश्यों के सामान कार्य करने वाली अन्य संस्थाओ को सहयोग देना एवं उनका सहयोग लेना।
26. शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग जनो की चिकित्सा एवम् अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था करना।
27. मेडिकल कालजो की स्थापना करना।
28. खेलकूद एवं स्पोर्ट को प्रोत्साहन देना।
29. भारतीय कृषि की सुरक्षा एवम् कृषि विज्ञान का विकास तथा किसानों के लिए जनकल्याण योजनाओ एवम् कार्यक्रमों को चलाना।
30. गो सेवा, सुरक्षा संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
31. जाति, पंथ, सम्प्रदायों में समरसता का भाव पैदा करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831334

32. विदेशों में रह रहे भारतीय व्यक्तियों में भारतीयता का भाव जागृत करना एवम् सम्बन्ध बनाए रखने का कार्यक्रम चलाना।
33. भारतीय विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्यक्रम चलाना।
34. राष्ट्र निर्माण व सामालिक चेतना हेतु पदयात्रा, रथयात्रा का संचालन करना।
35. नशामुक्ति का अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार करना।
36. स्वच्छता का कार्यक्रम चलाना।

न्यास मण्डल

मै ''मदर निर्मला चेरिटेबुल ट्रस्ट'' के बोर्ड आफ ट्रस्टीज का निम्न प्रकार गठन करता हूँः-

1. डॉ0 कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय निवासी ग्राम करमनबीर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831333

पोस्ट सुसुवाही, परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी। आधार नं0-384964626169 मो0नं0-7897991775

...........मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव

2. डा0 महेन्द्र नारायण पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय निवासी ग्राम गहिरी, पोस्ट मझवार, जनपद-चन्दौली। आधार नं0-727820802059 मो0नं0-9415358311

...............न्यास का अध्यक्ष

3. श्रीमती सुनैना पाण्डेय पत्नी डा0 महेन्द्र नारायण पाण्डेय, निवासिनी ग्राम गहिरी, पोस्ट मझवार, जनपद-चन्दौली। आधार नं0-366048767739 मो0नं0-7897991780

4. श्रीमती रीता पाण्डेय पत्नी कृष्णानन्द पाण्डेय निवासिनी ग्राम-करमनबीर पोस्ट सुसुवाही, परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831332

वाराणसी। आधार नं0-323691342336 मो0नं0-9450164099

मै आवश्यकता पड़ने पर दो अन्य न्यासीगण की नियुक्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ और जब भी आवश्यकता पड़ेगी मै अन्य न्यासियों की नियुक्ति करूंगा।

संस्थापक अध्यक्ष डॉ0 महेन्द्र नारायण पाण्डेय के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

1. इस न्यास का अध्यक्ष न्यास मण्डल के सभी बैठको की अध्यक्षता करेगा और समय-समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव को आवश्यक परामर्श देगा।

मैनजिंग ट्रस्टी/सचिव के अधिकार एवम् कर्तव्य

2. संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव न्यास मण्डल में अपने स्वयं निर्णय से आवश्यकतनुसार अन्य न्यासियों की नियुक्ति करेगे। न्यासियों को वेतन देय नही होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831331

3. संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव किसी भी न्यासी को अपनी इच्छानुसार न्यास मण्डल से हटा सकते है।
4. न्यास के सभी कार्यो पर मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव का नियंत्रण रहेगा और वह न्यास मण्डल के किसी भी निर्णय को वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए निरस्त कर सकते है और इनका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
5. न्यास मण्डल भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्य करता रहेगा और उसके प्राविधानों का पूर्णतः निर्वहन व पालन करेगा।
6. भारतवर्ष में सामाजिक समरूपता एवं समरसता स्थापित करने के लिए वह जिस किसी भी कार्यक्रम की आवश्यकता होगी, मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव उसकी व्यवस्था करेगे।
7. न्यास मण्डल के अन्य न्यासीगण न्यासहित में वही कार्य करेगे जो मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831330

8. संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव अपने जीवनकाल में सर्वदा संस्थापक मुख्य न्यासी एवं सचिव न्यासी बने रहेगे एवं अपने जीवनकाल के बाद के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव की नियुक्ति कर देगे और मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव की मृत्यु के बाद वही इस न्यास का उत्तराधिकारी एवम् संरक्षण अधिकारी होगे एवं उन्हे वे सभी अधिकार प्राप्त होगे जो मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव को प्राप्त है लेकिन यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/ सचिव अपने जीवनकाल में न्यासी नियुक्त न कर सके और उनकी मृत्यु हो जाय तो ऐसी स्थिति में न्यास मण्डल के सदस्य बहुमत से मुख्य न्यासी की नियक्ति करेगे।

9. यदि कोई न्यासी न्यासहित के विरूद्ध कार्य करता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा उसे मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव न्यास मण्डल से निष्कासित कर देगे।

10. पदाधिकारीगण एवम् कर्मचारियों की नियुक्ति एवम् वेतन वितरण मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 831329

11. यह न्यास पब्लिक चैरिटेबुल न्यास है।
12. यह कि न्यास पारिवारिक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
13. मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव में न्यास के सभी वित्तीय अधिकार निहित होगे और वह अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से एक या एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंको में खाता खोलकर संचालन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव स्वयं एकल हस्ताक्षर से बैंक खातो के संचालन करने का अधिकारी होगा।
14. न्यास के कार्यो, उद्देश्यो की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवम् उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करना एवम् उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करना एवं सेवाच्युत करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव को होगा।

__न्यास की सम्पत्ति :-__

मेरे द्वारा इस न्यास को स्थापित करने के लिए मु0 10,000/-रू0 अर्पित

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BV 831328

किया गया है वह न्यास की सम्पत्ति होगी और न्यास का पंजीकरण हो जाने पर धन को न्यास के बैंक खाता में जमा कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस न्यास को जो भी चल अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहेगी वे सब न्यास की सम्पत्ति होगी।

न्यास फण्ड व निवेश :-

न्यासमण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओ में निवेश करना और यह सभी निवेश भारतीय विधि के अनुकूल होगे।

एजेण्ट एवम् एटार्नी नियुक्त करना :-

न्यास मण्डल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एजेण्टा और एटार्नी नियुक्त कर सकती है :-

कर्मचारियों की नियुक्ति :-

न्यास के कार्य संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जायेगा इसके लिए कर्मचारियों ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जायेगा इसके लिए कर्मचारियों पर और कर्मचारियों को समय-समय पर निर्देश मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 109269

द्वारा दिया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यास मण्डल के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करेगा।

न्यास के लिए धन प्राप्त करना :-

न्यास सरकारी गैरसरकारी संस्थाओ व बैंक आदि से नियमानुसार ऋण प्राप्त करेगा और न्यास की सम्पत्तियों को बन्धक भी रख सकता है और न्यास की सम्पत्ति को न्यास की आवश्यकतों की पूर्ति के लिए न्यास के हित में विक्रय भी कर सकता है लेकिन इन सभी कार्यो के लिए न्यास मण्डल की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है और न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य समानधर्मी संस्थाओ से भी सहयोग ले सकेगा तथा सरकारी व गैरसरकारी वित्तीय संस्थानो में निवेश कर सकेगा और न्यास के लाभ के लिए अन्य श्रोत भी प्राप्त करेगा।

न्यायिक क्षेत्राधिकार-

न्यास के द्वारा या न्यास के विरूद्ध कोई भी मुकदमा किसी भी प्रकृति का केवल वाराणसी जिला न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकता है और वाराणसी जिला न्यायालय को ही श्रवणाधिकार निस्तारण का अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 109268

न्यास विलेख में संशोधन :-

आवश्यकतानुसार न्यासमण्डल द्वारा न्यास विलेख में दिये गये प्राविधानों को संशोधित कर सकता है और उसमें नये नियम, उपनियम निर्मित कर सकता है और यह संशोधन न्यासमण्डल के दो तिहाई सदस्यों के मत से ही किया जायेगा।

न्यास का विघटन :-

न्यासमण्डल के 3/5 बहुमत से न्यास को विघटित किया जा सकता है या समानधर्मी एवम् समान उद्देश्यों वाली न्यास में विलय किया जा सकता है या इस सम्बन्ध में न्यासमण्डल 3/5 बहुमत से कोई निर्णय ले सकती है।

मै, डॉ0 कृष्णानन्द पाण्डेय, मैनेजिंग ट्रस्टी/सचिव अपने स्वेच्छा व स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से बिना किसी जोर दबाव जायज नाजायज के यह न्यास स्थापित करते हुए यह न्यास विलेख तहरीर कर देता हूँ ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 109267

उपर्युक्त के आलोक में आज यह न्यास विलेख उपर्युक्त न्यासी / न्यासियों द्वारा इस आशय से निष्पादित एवं साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किया गया की प्रमाणित रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर यथा समय काम आवे।

10- निष्पादन का स्थान : सदर द्वितीय

दिनांक : 24-05-2019

साक्षीगण

02

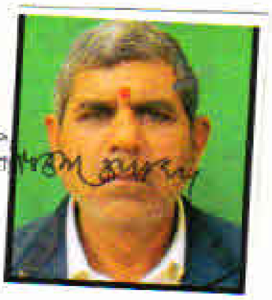

साक्षी का नाम: श्री संतोष कुमार उपाध्याय

पिता/पति का नाम : पुत्र स्व० पारसनाथ उपाध्याय

निवासी : ग्राम मिल्कीचक गंगापुर, वाराणसी।

मोबाइल संख्या : 9454734951

आवेदन सं०: 201900996017735

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 179 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री कृष्णानन्द पाण्डेय, पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय

निवासी: ग्राम करमनबीर पोस्ट सुसुवाही परगना–देहात अमानत, तहसील व जिला–वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा , पुत्र श्री स्व० कामता प्रसाद मिश्रा

निवासी: सरैया सिकन्दरपुर चुनार जिला–मिर्जापुर।

व्यवसाय: अन्य

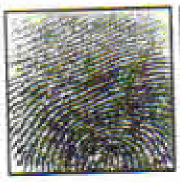

पहचानकर्ता : 2

श्री संतोष कुमार उपाध्याय , पुत्र श्री स्व० पारसनाथ उपाध्याय

निवासी: ग्राम मिल्कीचक गंगापुर, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी

अरविन्द कुमार सिंह
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 109266

01

साक्षी का नाम:	श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा
पिता/पति का नाम :	पुत्र स्व० कामता प्रसाद मिश्रा
निवासी :	सरैया सिकन्दरपुर चुनार जिला–मिर्जापुर।
मोबाइल संख्या :	7897991778

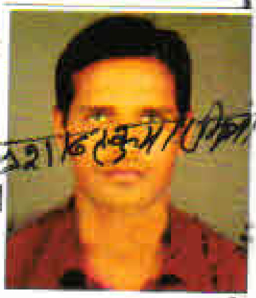

प्रशान्त कुमार मिश्रा

9117

क्रमांक संख्या 24-5-19
स्टाम्प विक्रय की तिथि .....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ..... न्यास
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .....
स्टाम्प की धनराशि 90 .....
स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम मो० शकील सिद्दीकी
लाइसेन्स नम्बर 283/2011
लाइसेन्स की अवधि - 29/13 से 29 तक
स्टाम्प विक्रय का स्थान - दीवानी न्यायालय
कचहरी वाराणसी

आवेदन सं०: 201900996017735

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०: 179** **वर्ष: 2019**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री कृष्णानन्द पाण्डेय ,
पुत्र श्री सुरेश पाण्डेय
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम करमनबीर पोस्ट सुसुवाही परगना–देहात अमानत, तहसील व जिला–वाराणसी।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 25/05/2019 एवं 03:36:26 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
वाराणसी
25/05/2019

अरविन्द कुमार सिंह
निबंधक लिपिक

उप निबंधक द्वितीय वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 109265

मसविदाकर्ता :- राहुल सिंह

एडवोकेट

कलेक्टरी कचहरी वाराणसी।

मो०नं०6390736214

टाईपकर्ता :- जे0के0कम्प्युटर

कचहरी वाराणसी।

2118

क्रमांक पुस्तक.....
स्टाम्प विक्रय की तिथि 24-5-19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... मेट्रो सिटी ऐरिकुल ...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
स्टाम्प की धनराशि 24........
स्टाम्प विक्रेता का नाम मो० शकील सिद्दीकी
लाइसेन्स नम्बर 285/2011
लाइसेन्स की अवधि - 20/7 से 20/2 तक
अधिकृत विक्रय स्थल - दीवानी न्यायालय
... कचहरी वाराणसी

आवेदन सं०: 201900996017735

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 237 के पृष्ठ 377 से 416 तक क्रमांक 179 पर दिनाँक 25/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबंधक द्वितीय वाराणसी जिला-वाराणसी उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी
25/05/2019